



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 19.10.2021

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा हत्या करने का प्रयास करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 18.10.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 945/2021 धारा 504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त शाहरूख पुत्र सलीम उर्फ समी मौहम्मद निवासी मौ0 मेवातियान, मदरसा के पास, कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के फैज-ए-आम मदरसा कटहैरा रोड दादरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2021 को अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मन्जूर अली पुत्र फरयाद अली निवासी मौहल्ला मेवातियान कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर के उपर जान से मारने की नियत से फायर कर, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अभियुक्त का विवरण:

शाहरूख पुत्र सलीम उर्फ समी मौहम्मद निवासी मौ0 मेवातियान, मदरसा के पास, कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 945/2021 धारा 504/506/307 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 948/2021 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस



#थाना दनकौर पुलिस द्वारा गुमशुदा 02 बच्चों को सूचना मिलने के मात्र 02 घण्टे के अंदर सकुशल तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 19/10/2021 को थाना दनकौर पर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 18/10/2021 की शाम को 02 बच्चे कहीं गुम हो गए हैं। उक्त सूचना प्राप्त होते ही थाना दनकौर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु 02 टीमों गठित कर दी गई। पुलिस द्वारा कड़े प्रयास करते हुए गुमशुदा उक्त दोनों बच्चों को सूचना मिलने के मात्र 02 घण्टे के अंदर सकुशल तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य के लिए बच्चों के परिजनों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

#उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के तहत कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्रोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरूप अभियुक्त बिज्जू उर्फ विजय निवासी ग्राम डेरी स्केनर, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री निरंजन कुमार द्वारा

आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्रोई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 38/2017 धारा 376(2) झ, 302, 201 भादवि 5(एम)/6 पोक्सो अधिनियम थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 19/10/2021 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त बिज्जू उर्फ विजय निवासी ग्राम डेरी स्केनर, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा होगा।

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।